LATEST

NEWS

Election

Date : 21th Dec. 2025

Office of Chief Electoral Officer Rajasthan

https:/election.rajasthan.gov.in/

Follow us on:

CEORAJASTHAN

हेल्पलाइन 1950

नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर कैंप कल से

भास्कर न्यूज | बालोतरा

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत दावे एवं आपत्तियों का चरण 15 जनवरी 2026 तक चल रहा है। इसके तहत मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु के युवा, महिला मतदाताओं के साथ विशेष योग्यजन, पीवीटीजी समेत अन्य पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण कराना है।

इसके लिए 22 दिसंबर से कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने बताया कि एसआईआर के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नव मतदाता के लिए कलस्टर कैंप आयोजित कर मतदाता सूची में पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा एवं महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर इत्यादि पात्र मतदाताओं का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी।

उन्होंने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना के तहत समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूल धारा में जुड़ने से शेष रहे वर्गों पर विशेष जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है, जिसके तहत एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दावे एवं आपत्तियों के चरण के मध्य 15 जनवरी 2026 तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन अर्हता 1 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं का पंजीकरण किया जाना है।

उन्होंने बताया कि युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए 22 एवं 23 दिसंबर को जिले के स्कूलों एवं कॉलेजों में ईएलसी के माध्यम से नव मतदाता पंजीकरण, 29 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के लिए मतदाता कलस्टर कैंप, 6 जनवरी 2026 को डोर टू डोर सर्वे कर ट्रांसजेंडर एवं ईआरओ की ओर से चिन्हित स्थानों पर पीवीटीजी, डिनोटिफाइड ट्राइब, नोमेडिक एवं सेमी नोमेडिक कम्युनिटी के शेष रहे व्यक्तियों का पंजीकरण तथा 10 जनवरी को महिलाओं एवं नव विवाहित महिलाओं का समस्त मतदान केंद्रों पर पंजीकरण किया जाएगा।

स्वीप नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीराराम कलबी ने बताया कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार कलस्टर कैंपों का आयोजन कराते हुए नव मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।

नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए कलस्टर कैंप कल से

नवज्योति / बालोतरा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे एवं आपतियों का चरण 15 जनवरी 2026 तक चल रहा है। इसके तहत मतदाता सूची में 18 वर्ष की आयु के युवा, महिला मतदाताओं के साथ विशेष योग्यजन, पीवीटीजी समेत अन्य पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करवाना जाना है। इसके लिए 22 दिसंबर से कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार यादव ने बताया कि एसआईआर के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के नव मतदाता के लिए कलस्टर कैम्प आयोजित कर मतदाता सूची में पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यकम-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु के युवा एवं महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर इत्यादि पात्र मतदाताओं का मतदाता सूची में शत-प्रतिशत पंजीकरण करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि एसआईआर के अंतर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना के तहत समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूल धारा में जुडने से शेष रहे वर्गों पर विशेष जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। उन्होंने बताया कि युवाओं को मतदाता सूची से जोडने के लिए 22 एवं 23 दिसंबर को जिले के विद्यालयों एवं कॉलेजों में ईएलसी के माध्यम से नव मतदाता पंजीकरण, 29 दिसंबर को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांगजनों के लिए मतदाता कलस्टर कैंप, 6 जनवरी 2026 को डोर टू डोर सर्वे कर ट्रांसजेंडर एवं ईआरओ की ओर से चिन्हित स्थानों पर पीवीटीजी, डिनोटिफाइड ट्राइब, नोमेडिक एवं सेमी नोमेडिक कम्युनिटी के शेष रहे व्यक्तियों का पंजीकरण तथा 10 जनवरी को महिलाओं एवं नव विवाहित महिलाओं का समस्त मतदान केंद्रों पर पंजीकरण किया जाएगा।

एसआइआर-2026 के तहत 2.41 लाख मतदाताओं ने गणना प्रपत्र किए जमा, बूथों का पुनर्गठन

अनूपगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण, 26 नए मतदान केंद्र बने

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

अनूपगढ़. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनूपगढ़ में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर-2026) संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इसे लेकर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनूपगढ़ के कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए व प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में बताया गया कि मतदाता सूची के शुद्धीकरण के साथ-साथ मतदान केंद्रों के पुनर्गठन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। निर्वाचन अधिकारी सुरेश राव ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पहले 244 मतदान केंद्र थे, जिनमें कई केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक हो चुकी थी। इससे मतदान के दिन अव्यवस्था व लंबी कतारों की आशंका बनी रहती थी। इस समस्या के समाधान के लिए 1200 से अधिक मतदाताओं वाले सभी बूथों का पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत 26 नए मतदान केंद्र बनाए गए। इसके बाद अब क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 270 हो गई है।

अनूपगढ़. बैठक में उपस्थित निर्वाचन अधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि।

निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार नए मतदान केंद्र मतदाताओं की भौगोलिक स्थिति, आबादी के विस्तार तथा ग्राम पंचायत व नगरीय क्षेत्रों की संरचना को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों, दूरस्थ ढाणियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं को अपने निवास के पास ही मतदान केंद्र की सुविधा मिलेगी और मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। सभी 270 मतदान केंद्रों की सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करवाई गई।

बैठक में एसआइआर-2026 के आंकड़ों की जानकारी भी दी गई। 4 नवंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक चले गणना चरण में कुल 2,53,959 मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए। इनमें से 2,41,093 मतदाताओं ने प्रपत्र भरकर जमा कराए, जिन्हें 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया गया है। वहीं 12,866 प्रपत्र आपत्तिजनक पाए गए, जिनमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित व एकाधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। इन प्रविष्टियों की सूची वेबसाइट के साथ मतदान केंद्रों व संबंधित कार्यालयों में चस्पा की गई है। प्रारूप सूची के प्रकाशन के साथ 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक दावे-आपत्तियां ली जाएंगी। 7 फरवरी 2026 तक सुनवाई व सत्यापन के बाद 14 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी व सीपीआई (एम) के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआइआर-2026 के तहत मतदाता सूची का शुद्धीकरण एवं मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया गया है। 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों को विभाजित कर 26 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं।- **सुरेश राव**, उपखंड अधिकारी, अनूपगढ़

अनूपगढ़ विधानसभा में मतदाता संख्या हुई 2 लाख 41 हजार 93

मतदाता सूची के प्रारूप का हुआ प्रकाशन, 12866 मतदाताओं ने नही भरे गणना प्रपत्र

सीमा सन्देश # अनूपगढ़

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसके बाद अब अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र मे 2 लाख 41 हजार 93 मतदाता होंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं एसडीएम सुरेश राव ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर निर्वाचक जानकारी दी। राव ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले अनूपगढ़ विधानसभा में कुल मतदाता संख्या 2 लाख 53 हजार 959 थी, जिन्हें गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। इन में से 12866 मतदाताओं से गणना पत्र जमा नहीं करवाए, 3294 मतदाता मृत, 6981 स्थायी रूप से स्थनांतरित, 1880 अनुपस्थित तथा 704 मतदाताओं के दोहरे वोट पाए गए जबकि 7 अन्य मतदाता शामिल हैं। इस तरह एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अनूपगढ़ विधानसभा में 2 लाख 41 हजार 93 मतदाताओ ने अपने गणना प्रपत्र जमा करवाए जिनकी सूचियां का अंतिम प्रकाशन किया गया है। उन्होंने बताया कि अनूपगढ़ विधानसभा में मतदाताओं को राहत देते हुए 1200 से अधिक वोटर वाले बूथों का भी पुनर्गठन किया है। पूर्व में विधानसभा क्षेत्र में 244 बूथ थे जो अब बढ़कर 270 हो गए। अब 15 जनवरी 2026 तक इस सूची के संबंध में दावे व आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध 15 दिन में पहली अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में दूसरी अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर के समक्ष अगले 30 दिन में करनी होगी। एसडीएम ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 270 बीएलओ को निर्देशित किया है कि आगामी दिनों में अधिक से अधिक पात्र लोगों ने फार्म नं… भरवाएं ताकि कोई भी पा… से वं… अंति… 14 फरवरी को होगा।

10/13

16 जनवरी तक सूची में संशोधन का आखिरी मौका

मतदाता सूची सुधार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाई सक्रियता

टोंक. कार्यशाला में मौजूद पदाधिकारी व कार्यकर्ता।

टोंक @पत्रिका. जिला कांग्रेस की ओर से विशेष गहन पुननिरीक्षण मतदाता सूची के दूसरे चरण के संदर्भ में कार्यशाला का आयोजन शनिवार को किया गया। यह कार्यशाला टोंक विधानसभा क्षेत्र के शहर और देहात ब्लॉक के अध्यक्षों, मण्डल अध्यक्षों, मण्डल प्रभारियों, ब्लॉक लेवल एजेंट्स और अन्य कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य आगामी चुनावों के लिए मतदाता सूची में सुधार एवं नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के प्रक्रिया को गति देना था। कार्यशाला में निवर्तमान जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, जिला संगठन महासचिव दिनेश चौरसिया, जिला कोषाध्यक्ष सीपी श्रीवास्तव, टोंक देहात ब्लॉक अध्यक्ष कैलाशी मीना और शहर ब्लॉक अध्यक्ष इरशाद बेग ने एसआइआर के दूसरे चरण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस चरण के तहत मतदाता सूची में सुधार और नए मतदाताओं का नाम जोडने की प्रक्रिया को पूरा करने का अंतिम समय 16 जनवरी तक है।

बीएलए से मिलकर करें सहयोग: हरिप्रसाद बैरवा ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप सभी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहें और संबंधित बीएलए से मिलकर इस कार्य में सहयोग करें। अगर किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या कोई आपत्ति हो तो उसे 16 जनवरी तक दर्ज कराएं। साथ ही 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने वाले पात्र युवाओं के नाम सूची में जोड़ने का भी अवसर है।

कई बिंदुओं पर चर्चा

दूसरे चरण में मुख्य रूप से मतदाता सूची में संशोधन, नए मतदाताओं का पंजीकरण और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को बताया गया कि हर गांव, कस्बे और मोहल्ले में जाकर लोगों को इस प्रक्रिया से अवगत कराना और उनकी मदद करना आवश्यक है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर व्यक्ति का नाम सही रूप से सूची में दर्ज हो।

यह रहे उपस्थित

कार्यशाला में शब्बीर पार्षद, देवकरण गुर्जर प्रभारी बावड़ी, कमलेश चावला, तुलसीराम चावला, शिवदयाल पंवार, मंडल अध्यक्ष मूलचंद बैरवा, रामस्वरूप मीना, रामावतार प्रजापत, मुकेश गुर्जर, आबिद, इम्तियाज, अजमल, कमर मियां, जर्रार आदि थे। सभी कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण कार्य में सहयोग देने का संकल्प लिया।

कांग्रेस ने एसआईआर पर की चर्चा, दूसरे चरण की तैयारी

टोंक| कांग्रेस नेताओं ने कोई वोट के अधिकार से वंचित नहीं रहे। इसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक कर कार्यकर्ताओं को एसआईआर के दूसरे चरण के बारे में जानकारी दी।

जिला कांग्रेस कमेटी टोंक में विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची के दूसरे चरण में,संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र टोंक के शहर-देहात ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, बीएलए व कार्यकर्ताओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में निवर्तमान जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, जिला संगठन महासचिव दिनेश चौरसिया, जिला कोषाध्यक्ष सीपी श्रीवास्तव, टोंक देहात ब्लॉक अध्यक्ष कैलाशी मीना आदि ने दूसरे चरण के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि आपत्ति दर्ज कराने व 18 वर्ष की उम्र होने पर नाम जुड़वाने का समय 16 जनवरी-2026 तक हैं। सभी कार्यकर्ता संबंधित बीएलओ से मिलकर पुनरीक्षण दूसरे चरण में सहयोग कर ने का कार्य करें।

दैनिक भास्कर

कोटा 21-12-2025

एसआईआर • भास्कर में खुलासे पर निर्वाचन विभाग हरकत में

मतदाता सूचियों में दोहरे-तीहरे नामों की गड़बड़ी मामले की जांच एडीएम सिटी को

सिटी रिपोर्टर | कोटा

दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर-2026 की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों के भास्कर में खुलासा होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) पीयूष समारिया ने जांच के आदेश दिए हैं। एक ही बूथ पर कई मतदाताओं की डबल एंट्री होने और एक महिला मतदाता के तीन जगह अलग-अलग एपिक कार्ड से नाम दर्ज होने के मामले में कलेक्टर ने दक्षिण विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अनिलकुमार सिंघल को जांच के आदेश दिए हैं। उनसे पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की गई है।

उधर, खबर छपने के बाद से जिन क्षेत्र में दोहरी एंट्री के मामले आए हैं, उनके बीएलओ व सुपरवाइजर जांच में लगे रहे। इनके गणना फॉर्म भी निकाले जा रहे हैं, ताकि

भास्कर फॉलोअप

यह स्पष्ट हो पाए कि इनके फॉर्म कब, कहां, किसने भरे? साथ ही इनके विलोपित करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है।

गौरतलब है कि भास्कर ने शनिवार के अंक में प्रकाशित खबर में बताया था कि एसआईआर में मतदाता सूचियों के शत प्रतिशत शुद्धिकरण के दावे के बाद एक वोटर के तीन-तीन जगह नाम सामने आए हैं। इसमें एक मतदाता सावित्री के बूथ 247, 258 और 260 पर नाम दर्ज थे, भास्कर ने वोटर लिस्ट के फोटो सहित इसका खुलासा किया था।

बड़ा सवाल: इतने फॉर्म किसने जमा करवाए?

इस मामले में बीएलओ की भूमिका पर सवाल है। वैसे, दोहरी प्रविष्टियां पहले से थीं, ऐसे में ऑनलाइन सिस्टम में इनके गणना प्रपत्र स्वतः जनरेट हो गए। लेकिन सवाल यह है कि ये गणना प्रपत्र किसने जमा कराए? जब एक ही व्यक्ति ने जमा कराए तो बीएलओ ने क्या देखा? सूत्रों ने यह भी बताया कि कोटा दक्षिण क्षेत्र में अन्य जगहों पर भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं।

ईआरओ को जांच के आदेश दिए हैं। हर पहलु को देखा जाएगा। फॉर्म भी देखेंगे।

– **पीयूष समारिया**, कलेक्टर, कोटा

की समीपवर्ती/मुकाबिले खेले जाएंगे।

मतदाता/नवमतदाता पंजीकरण के लिए कलस्टर कैंप का आयोजन किया जाएगा

जनगण न्यूज

सिरोही। जिला निर्वाचन अधिकारी अल्पा चौधरी ने बताया कि प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना के तहत भारत निर्वाचन आयेग के निर्देशानुसार समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूलधारा में जुडने से शेष वर्गो पर विशेष जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।उन्होंने बताया कि निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे एवं आपत्तियों का चरण 16 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित है। इन दावों एवं आपत्तियां के चरण के अंतर्गत मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवा एवं महिला मतदाताओं के साथ ही विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर, पीवीटीजी, डिनोटिफाइड, नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक कम्यूनिटीज इत्यादि पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत प्रतिशत पंजीकरण किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर 2026 के लिए निर्धारित अर्हता 01 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन भी किया जाना है।उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 के अन्तर्गत दावे एवं आपत्तियों के लिए निर्धारित अवधि 16 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 के मध्य मतदाता/नव मतदाता पंजीकरण के लिए कलस्टर कैम्पों का आयोजन किया जाएगा।युथ मतदाता के लिए 22 व 23 दिसम्बर को, विशेष योग्यजन के लिए 29 दिसम्बर को, ट्रांसजेंडर के लिए 6 जनवरी 2026 को तथा पीवीटीजी, डीनोटिफाइड और नोमेडिक, सेमीनोमेडिक ट्राइब के लिए 6 जनवरी को कलक्टर कैम्पों का आयोजन किया जाएगा।कलक्टर कैम्प यूथ मतदाताओं के लिए समस्त राजकीय एवं निजी यूनिवर्सिटी/कॉलेज/ सैकेंडरी एवं सीनीयर सैकेंडरी के उपयुक्त कलस्टर बनाते हुए, विशेष योग्यजन के लिए स्कूल ईएलसी एवं कॉलेज ईएलसी के उपयुक्त कलस्टर बनाते हुए विशेष योग्यजन के लिए जिले के विशेष विद्यालय/आवासीय विद्यालय, कार्यरत सीएसओ, एनजीओ, पंचायतीराज संस्थानों, ट्रासजेंडर्स के लिए डेरे/हवेलियां एवं इनके निवास स्थान पर डोर टू डोर सर्वे कर, पीवीटीजी, डिनोटिफाइड, नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक के लिए ईआरओ द्वारा चिन्हित स्थान पर आयोजित होंगे। वुमैन/न्यूली मैरीड वुमैन के लिए 10 जनवरी को समस्त मतदान केन्द्रों पर महिला कलस्टर कैंप आयोजित होंगे। इन कलस्टर कैंपों में एसआइआर की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र मतदाताओं फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र भरवाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अल्पा चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि इन कैंपों के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार आईईसी सामग्री के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।

मतदाता/नवमतदाता पंजीकरण के लिए कलस्टर कैंप का आयोजन किया जाएगा

हिंदुस्तान से रूबरू

सिरोही, जिला निर्वाचन अधिकारी अल्पा चौधरी ने बताया कि प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कोई भी पात्र मतदाता न छूटे की संकल्पना के तहत भारत निर्वाचन आयेग के निर्देशानुसार समाज के वंचित वर्गों एवं समाज की मूलधारा में जुडने से शेष वर्गो पर विशेष जोर देते हुए समावेशी मतदाता पंजीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। उन्होंने बताया कि निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे एवं आपत्तियों का चरण 16 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित है। इन दावों एवं आपत्तियां के चरण के अंतर्गत मतदाता सूची में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवा एवं महिला मतदाताओं के साथ ही विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर, पीवीटीजी, डिनोटिफाइड, नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक कम्यूनिटीज इत्यादि पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में शत प्रतिशत पंजीकरण किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर 2026 के लिए निर्धारित अर्हता 01 जनवरी 2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन भी किया जाना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 के अन्तर्गत दावे एवं आपत्तियों के लिए निर्धारित अवधि 16 दिसम्बर 2025 से 15 जनवरी 2026 के मध्य मतदाता/नव मतदाता पंजीकरण के लिए कलस्टर कैम्पों का आयोजन किया जाएगा। युथ मतदाता के लिए 22 व 23 दिसम्बर को, विशेष योग्यजन के लिए 29 दिसम्बर को, ट्रांसजेंडर के लिए 6 जनवरी 2026 को तथा पीवीटीजी, डीनोटिफाइड और नोमेडिक, सेमीनोमेडिक ट्राइब के लिए 6 जनवरी को कलक्टर कैम्पों का आयोजन किया जाएगा। कलक्टर कैम्प यूथ मतदाताओं के लिए समस्त राजकीय एवं निजी यूनिवर्सिटी/कॉलेज/सैकेंडरी एवं सीनीयर सैकेंडरी के उपयुक्त कलस्टर बनाते हुए, विशेष योग्यजन के लिए स्कूल ईएलसी एवं कॉलेज ईएलसी के उपयुक्त कलस्टर बनाते हुए विशेष योग्यजन के लिए जिले के विशेष विद्यालय/आवासीय विद्यालय, कार्यरत सीएसओ, एनजीओ, पंचायतीराज संस्थानों, ट्रासजेंडर्स के लिए डेरे/हवेलियां एवं इनके निवास स्थान पर डोर टू डोर सर्वे कर, पीवीटीजी, डिनोटिफाइड, नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक के लिए ईआरओ द्वारा चिन्हित स्थान पर आयोजित होंगे। वुमैन/न्यूली मैरीड वुमैन के लिए 10 जनवरी को समस्त मतदान केन्द्रों पर महिला कलस्टर कैंप आयोजित होंगे। इन कलस्टर कैंपों में एसआइआर की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र मतदाताओं फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र भरवाया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अल्पा चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए है कि इन कैंपों के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार आईईसी सामग्री के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इन कैंपों के सफल एवं सुचारू सम्पादन के लिए इएलसी (स्कूल/कॉलेज) नोडल, पीडब्ल्यडी नोडल, एसजेइडी/सीएसओ/एनजीओ/आंगनवाडी कार्यकर्ता/आशा सहयोगिनी आदि का सहयोग लिया जाए। 40 प्रतिशत एवं अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों का चिन्हिकरण एवं अनिवार्य पंजीकरण सुनिशिचत किया जाए।

राजस्थान पत्रिका 21.12.2025

नव मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 22 से आयोजित होंगे शिविर

चूरू @ पत्रिका. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे व आपत्तियों के लिए निर्धारित अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान मतदाता, नव मतदाता पंजीकरण के लिए 22 दिसंबर से कलस्टर कैंप आयोजित किए जाएंगे। स्वीप नोडल अधिकारी सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि 22 व 23 दिसंबर को युवा मतदाताओं के लिए सभी राजकीय व निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कैंप लगाया जाएगा। 29 दिसंबर को दिव्यांग मतदाताओं के लिए स्कूल व कॉलेज ईएलसी, दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय व आवासीय विद्यालय तथा कार्यरत सीएसओ, एनजीओ, पंचायतीराज संस्थाओं में, 06 जनवरी को ट्रांसजेंडर मतदाताओं के लिए डेरे, हवेलियों एवं इनके निवास स्थानों पर डोर टू डोर सर्वे कर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मतदाताओं के लिए ईआरओ द्वारा चिन्हित स्थानों पर, 10 जनवरी को महिलाओं व नवविवाहित महिलाओं के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर कलस्टर कैंप आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कलस्टर कैंपों के लिए सभी अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए गए हैं। इन कैंपों में 01 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए फॉर्म 06 व घोषणा पत्र भरवाया जाएगा।

नव मतदाताओं के पंजीकरण हेतु कलस्टर कैंप 22 को

कानून व्यवस्था

ओमप्रकाश कारेल चूरू। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) – 2026 अंतर्गत दावे व आपत्तियों हेतु निर्धारित अवधि (16 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026) के दौरान मतदाता/नव मतदाता पंजीकरण हेतु 22 दिसंबर, 2025 से कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। स्वीप नोडल अधिकारी सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि 22 व 23 दिसंबर को युवा मतदाताओं के लिए सभी राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, 29 दिसंबर को दिव्यांग मतदाताओं के लिए स्कूल व कॉलेज ईएलसी, दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय व आवासीय विद्यालय तथा कार्यरत सीएसओ, एनजीओ, पंचायतीराज संस्थाओं में, 06 जनवरी, 2026 को ट्रांसजेंडर मतदाताओं के लिए डेरे, हवेलियों एवं इनके निवास स्थानों पर डोर टू डोर सर्वे कर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मतदाताओं के लिए ईआरओ द्वारा चिन्हित स्थानों पर, 10 जनवरी, 2026 को महिलाओं व नवविवाहित महिलाओं के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर कलस्टर कैंप आयोजित किए जाएंगे।

राजस्थान स्टेटमेन्ट 21.12.2025

नव मतदाताओं के पंजीकरण हेतु कलस्टर कैंप 22 दिसंबर से

(राजस्थान स्टेटमेन्ट)

चूरू। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 अंतर्गत दावे व आपत्तियों हेतु निर्धारित अवधि (16 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026) के दौरान मतदाता/नव मतदाता पंजीकरण हेतु 22 दिसंबर, 2025 से कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। स्वीप नोडल अधिकारी सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि 22 व 23 दिसंबर को युवा मतदाताओं के लिए सभी राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, 29 दिसंबर को दिव्यांग मतदाताओं के लिए स्कूल व कॉलेज ईएलसी, दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय व आवासीय विद्यालय तथा कार्यरत सीएसओ, एनजीओ, पंचायतीराज संस्थाओं में, 06 जनवरी, 2026 को ट्रांसजेंडर मतदाताओं के लिए डेरे, हवेलियों एवं इनके निवास स्थानों पर डोर टू डोर सर्वे कर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मतदाताओं के लिए ईआरओ द्वारा चिन्हित स्थानों पर, 10 जनवरी, 2026 को महिलाओं व नवविवाहित महिलाओं के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर कलस्टर कैंप आयोजित किए जाएंगे।

नव मतदाताओं के पंजीकरण हेतु कलस्टर कैंप 22 दिसंबर से

हमारा गगन

चूरू। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) – 2026 अंतर्गत दावे व आपत्तियों हेतु निर्धारित अवधि (16 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026) के दौरान मतदाता/नव मतदाता पंजीकरण हेतु 22 दिसंबर, 2025 से कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। स्वीप नोडल अधिकारी सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि 22 व 23 दिसंबर को युवा मतदाताओं के लिए सभी राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, 29 दिसंबर को दिव्यांग मतदाताओं के लिए स्कूल व कॉलेज ईएलसी, दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय व आवासीय विद्यालय तथा कार्यरत सीएसओ, एनजीओ, पंचायतीराज संस्थाओं में, 06 जनवरी, 2026 को ट्रांसजेंडर मतदाताओं के लिए डेरे, हवेलियों एवं इनके निवास स्थानों पर डोर टू डोर सर्वे कर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मतदाताओं के लिए ईआरओ द्वारा चिन्हित स्थानों पर, 10 जनवरी, 2026 को महिलाओं व नवविवाहित महिलाओं के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर कलस्टर कैंप आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कलस्टर कैंपों के लिए सभी अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए गए हैं। इन कैंपों में 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु फॉर्म 06 व घोषणा पत्र भरवाया जाएगा।

नव मतदाताओं के पंजीकरण हेतु कलस्टर कैंप 22 दिसंबर से

सीकर टाइम्स । चूरू. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) – 2026 अंतर्गत दावे व आपत्तियों हेतु निर्धारित अवधि (16 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026) के दौरान मतदाता/नव मतदाता पंजीकरण हेतु 22 दिसंबर, 2025 से कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। स्वीप नोडल अधिकारी सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि 22 व 23 दिसंबर को युवा मतदाताओं के लिए सभी राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, 29 दिसंबर को दिव्यांग मतदाताओं के लिए स्कूल व कॉलेज ईएलसी, दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय व आवासीय विद्यालय तथा कार्यरत सीएसओ, एनजीओ, पंचायतीराज संस्थाओं में, 06 जनवरी, 2026 को ट्रांसजेंडर मतदाताओं के लिए डेरे, हवेलियों एवं इनके निवास स्थानों पर डोर टू डोर सर्वे कर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मतदाताओं के लिए ईआरओ द्वारा चिन्हित स्थानों पर, 10 जनवरी, 2026 को महिलाओं व नवविवाहित महिलाओं के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर कलस्टर कैंप आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कलस्टर कैंपों के लिए सभी अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए गए हैं। इन कैंपों में 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु फॉर्म 06 व घोषणा पत्र भरवाया जाएगा।

नव मतदाताओं के पंजीकरण हेतु कलस्टर कैंप कल से

जयपुर गुलाबी टाइम्स

चूरू (विद्याधर आजाद)। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार सम्पूर्ण प्रदेश में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) – 2026 अंतर्गत दावे व आपत्तियों हेतु निर्धारित अवधि (16 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026) के दौरान मतदाता/नव मतदाता पंजीकरण हेतु 22 दिसंबर, 2025 से कलस्टर कैंपों का आयोजन किया जाएगा। स्वीप नोडल अधिकारी सीईओ श्वेता कोचर ने बताया कि 22 व 23 दिसंबर को युवा मतदाताओं के लिए सभी राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, 29 दिसंबर को दिव्यांग मतदाताओं के लिए स्कूल व कॉलेज ईएलसी, दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय व आवासीय विद्यालय तथा कार्यरत सीएसओ, एनजीओ, पंचायतीराज संस्थाओं में, 06 जनवरी, 2026 को ट्रांसजेंडर मतदाताओं के लिए डेरे, हवेलियों एवं इनके निवास स्थानों पर डोर टू डोर सर्वे कर तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) मतदाताओं के लिए ईआरओ द्वारा चिन्हित स्थानों पर, 10 जनवरी, 2026 को महिलाओं व नवविवाहित महिलाओं के लिए सभी मतदान केन्द्रों पर कलस्टर कैंप आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कलस्टर कैंपों के लिए सभी अधिकारियों को समुचित निर्देश दिए गए हैं। इन कैंपों में 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु फॉर्म 06 व घोषणा पत्र भरवाया जाएगा।